फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी / वादीगण **प्रतिवादी / प्रतिवादीगण**

रामप्रसाद .... बनाम .... अन्ना राम

: राजस्व वाद मुकदमा नं. ....166.... / **2022**

क्रम	हुक्म या कार्यवाही इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2	वाद पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री ...N. S. Rathore... के अन्तर्गत धारा ...53, 88... **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल दिनांक ...14/7/22... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
14/7/22	वकील वादी उप। प्रतिवादी सं 2 उपस्थित 3, 1 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। सा० मि० रही। प्रतिवादी सं. 4 का सम्मन वाद तामील प्राप्त हुआ जो परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किये जाने विवाद्यक बिन्दु कायमी की आवश्यकता नहीं रही है। साक्ष्य वादी में गवाह रामप्रसाद का शपथ पत्र PW1 पेश किया। बकाया साक्ष्य हेतु दिनांक 28/7/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[signature] Identified [signature]
28/7/22	अधिवक्ता/पक्षकारान के अधिवक्ता [illegible] पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश [illegible] होने के कारण [illegible] इसलिए प्रकरण [illegible] दिनांक 16/8/22 को [illegible] [initials]	
16/8/22	वकुलाय उप। वकील वादी [illegible] साक्ष्य कराना नहीं चाहते [illegible] की जाती है। मिसल वास्ते बहस व दे की जाती है। मिसल वास्ते बहस एवं अवलोकन हेतु दिनांक 22/8/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में जारी
22/8/22	पत्रावली प्रस्तुत। बहस हेतु समय चाहने की मिसल दिनांक 29/8/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)	
29/8/22	पत्रावली प्रस्तुत। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 29/9/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)	
29/9/22	पक्षकार उप. वार साथ द्वारा समय [illegible] [illegible] मिसल दि 6/10/2022 को पेश हो।	
6/10/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप. वादी का [illegible] स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथक से लिखा गया [illegible] किया। मिसल [illegible] बाद दाखिल दफ्तर रहे। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)	

अज अ

करण :

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

ीन अधिकारी :— सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 166 / 2022
जीसीएमएस न. 2021 / 286

ण—
. रामप्रसाद पुत्र कानाराम जाट निवासी कठोती तह. जायल जिला नागौर।
. अनिता पत्नि अशोक जाति प्रजापत निवासी कठौती तह. जायल जिला नागौर।
. इन्द्रादेवी पत्नि पूर्णाराम जाति प्रजापत निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
. सोहनीदेवी पत्नि रामदेव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

वादीगण —

1. अन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
2. पूसी देवी पत्नि बस्तीराम जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
3. भवंरी देवी पत्नि रामप्रसाद जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिस्थिति :—

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री दशरथ सिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

— निर्णय —

दिनांक :..............................

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण ने सरहद कठौती के खेत ख.न. 2768 / 1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर भूमि मे से खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादी रामप्रसाद ने दिनांक 01. 02.2021 को ख.न. 2768 / 1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर ... रकबा 0.0676 हैक्टेयर उतरी—पश्चिमी कोना व उसी दिन वादी सं. 4 ने ख.न. 2768 / 1798 रकबा 0.7276 ... से 0.0717 हैक्टेयर उतरी तरफ से बीच का भाग खरीद किया तथा वादी ... .2021 को ख.न. 2768 / 1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर मे से 0.0251 हैक्टेयर ... 798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर मे से 0.0502 हैक्टेयर भूमिं खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा बैचाननामा का पंजीयन भी वादीगण के पक्ष मे किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ने बीजुडी पत्नि ओमप्रकाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सुगनी पत्नि जेठाराम को भूमि का बैचान किया गया जिसका पंजीयन होकर नामान्तकरण दर्ज र दिया गया। परन्तु वादीगण के खरीदसुदा भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 4 द्वारा दर्ज नही या गया। प्रतिवादी अन्नाराम के द्वारा बीजुडी, मुकेश, चेनाराम, सुगनी को बैचान किये गई भूमि नामान्तकरण दर्ज होने के बाद शेष बचा भूमि रकबा 0.5669 हैक्टेयर जिसमे से वादीगण की रीदुसुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज होने से पहले ही प्रतिवादी 2 एवं 3 के पक्ष मे बैचान कर दीगण के पक्ष में नामान्तकरण को निष्फल कर दिया।

प्रतिवादी सं. 4 द्वारा वादीगण के द्वारा खरीदसुदा भूमि का बैचान का पंजीयन होने के परांत भी राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद नहीं करने से शेष भूमि वादीगण की खरीदसुदा भूमि हित प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बैचान का पंजीयन करवाने से उनके म खातेदारी मे गलत रूप से दर्ज हो गई। जिससे वादीगण को यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी बंटवाडा को लाना लाजमी आया है।

मौजा कठौती के ख.न. ख.न. 2768/1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर मे से बीजुडी, मुकेश, गनी व चैनाराम के पक्ष मे निष्पादित बैचा.नामा का नामान्तकरण दर्ज हो जाने से अब वर्तमान मे .न. 2768/1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर 2833/2816 रकबा 0.5669 क्टेयर बन गया है जिसमे से वादी रामप्रसाद का हिस्सा 0,0676 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग वाद त्र के साथ सलग्न नजरी नक्सा अनुसार आया हुआ है तथा मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 कबा 0.5669 हैक्टेयर मे वादी सं. 2 अनिता का हिस्सा रकबा 0.0251 माफिक नजरी नक्सा, तथा दी सं. 3 इन्द्रादेवी का मौजा कठोती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0. 502 हैक्टेयर, तथा वादी सं. 4 सोहनीदेवी का हिस्सा रकबा 0.0717 हैक्टयर माफिक नजरी नक्सा ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर का वादी सं. 1 ता 4 के नाम घोषणा खातेदारी के बाद चा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के बंट मे रखा गया है जो वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी क्सा मे प्रदर्शित किया गया है अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया ावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह राठौड ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ जो केवल रफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर ... की शपथ पत्र पी.डब्लू. 1 पेश हुआ साथ नकल जमाबन्दी ग्राम कठौती तह... ...बन्दी खाता सं. 1324 सम्वत 2073– 2076 प्रदर्श–1, खाता सं. 1308 सम्वत 2073–76 प्र... खाता सं. 1307 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 3, खाता सं. 1316 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 4, विवादि... खसरा नम्बरो का भू–नक्सा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रदर्श 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित बैचाननामा दिनांक 23.09.2021 की छायाप्रति प्रदर्श 6, प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी सोहनीदेवी व रामप्रसाद के पक्ष मे निष्पादित बैचाननामा दिनांक 01.02.2021 की छायाप्रतिया प्रदर्श 7 व 8 व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी अनिता एवं इन्द्रादेवी के पक्ष मे निष्पादित बैचाननामा की छायाप्रतिया प्रदर्श 9 व 10 प्रस्तुत की। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण की ओर से वाद का समर्थन कर इकबालिया जवाब से किया है। वादग्रस्त भूमि मे से वादीगट्ड बैचान करने के उपरान्त उक्त बैचनानामा का राजस्व रिकॉड मे अमल दरामद नहीं होने से प्रतिवादी अन्नाराम के द्वारा खातेदारी की आड में सम्पूर्ण भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष कर देने से तथा इस बैचाननामा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो जाने से वादीगण के हक अधिकारो का हनन हुआ है। वादीगण के पक्ष मे निष्पादित बैचाननामा के बाद दुबारा भूमि का बैचान हो जाने से पश्चातवर्ती बैचान शुरू से ही शुन्य है तथा सम्पति अंतरण अधिनियम की धारा 56 की मंशा के विपरित है। वादीगण अपनी खरीदसुदा भूमि पर खरीद की दिनांक से आदिनांक से काबिज हैं। अतः वादीगण रजिस्ट्रड खरीददार से अपनी खरीदसुदा भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिससे वादीगण वाद स्वीकार किया जाकर डिकरी किया जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मौजा कठौती के ख.न. 2768/1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 अन्नराम की खातेदारी की दर्ज रही है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी परिवारिक जरूरतो को पुरी करने हेतु समय समय पर अपनी खातेदारी की भूमि का बैचान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 तथा अन्य के पक्ष मे बैचान किया है। जो दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है। बैचाननामा प्रदर्श 7 ता 10 अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि मे से वादीगण के पक्ष में बैचान किया गया है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं हुआ है तथा प्रदर्श 6 के अनुसार प्रतिवादी सं1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित बैचाननामा जो कि वादीगण के पक्ष मे किये गये बैचान से पश्चातवर्ती है तथा पश्चातवर्ती बैचाननामा का प्रदर्श 1 अनुसार अन्नाराम की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 2 व 3 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। पश्चातवर्ती बैचाननामा का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो जाने से वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैचाननामे निष्फल हो गये है जो सम्पति अंतरण अधिनिमय की धारा 56 की मंशा के विपरित है। प्रतिवादी सं. 1 अन्नाराम के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बैचान का करने से तथा उसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो जाने से ख.न. 2768/1798 रकबा 0.7276 हैक्टेयर का [illegible] 2883/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर दर्ज होकर प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारी [illegible] के हिस्सा की भूमि सहित खातेदारी मे दर्ज होना प्रमाणित होता है। जिस[illegible] इकबालिया जवाब पेश कर ताईद किया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया [illegible] वाद पत्र मे वर्णित बंटवारा स्किम अनुसार दावा डिकरी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

— : : आदेश : : —

अतः वाद वादीगण का अधिन धार 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार ा जाकर डिकरी किया जाता है कि मौजा कठोती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर का निम्न प्रकार से विभाजन कर खातेदारी घोषणा की जाती है—

1. वादी रामप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0676 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादीया अनिता के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0251 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादीया इन्द्रा हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0502 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादीया सोहनीदेवी के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0717 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमश पूसी देवी व भवरी देवी के हक बंट मे कब्जा काश्त व खातेदारी में शेष भूमि यथावत रखी जाती है।

उपरोक्त बंटवाडा एवं घोषणा खातेदारी वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार होने से नजरी नक्सा निर्णय एवं डिकरी आदेश को अभिन्न भाग रहेगा। इसी माफिक डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा ा जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
बइजलास–श्री सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 166 / 2022
जीसीएमएस न. 2021 / 286

–
रामप्रसाद पुत्र कानाराम जाट निवासी कठोती तह. जायल जिला नागौर।
अनिता पत्नि अशोक जाति प्रजापत निवासी कठौती तह. जायल जिला नागौर।
इन्द्रादेवी पत्नि पूर्णाराम जाति प्रज.पत निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
सोहनीदेवी पत्नि रामदेव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

दीगण –
अन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
पूसी देवी पत्नि बस्तीराम जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
भवंरी देवी पत्नि रामप्रसाद जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नागौर।
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 5J राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

थति :–
1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री दशरथ सिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र ह राठौड अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हाजरी श्री दशरथ ह राठौड प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर म दिया जाता है कि –

1. वादी रामप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833 / 2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0676 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादीया अनिता के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833 / 2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0676 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. वादीया इन्द्रा हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0502 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादीया सोहनीदेवी के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती के ख.न. 2833/2816 रकबा 0.5669 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0717 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमश पूसी देवी व भवरी देवी के हक बंट मे कब्जा काश्त व खातेदारी में शेष भूमि यथावत रखी जाती है।

उपरोक्त बंटवाडा एवं घोषणा खातेदारी वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार होने से नजरी नक्सा निर्णय एवं डिकरी आदेश को अभिन्न भाग रहेगा।

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहियें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल